

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या-131 दिनांक 06.04.2018 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्ष 2018-19 से 2021-2022 के लिए अराजपत्रित श्रेणी के कार्मिको का वार्षिक स्थानान्तरण किये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में शासन के पत्र संख्या -2/2019/1/3/96-का-4-2019 दिनांक 28.05.2019 के द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2019-20 में दिनांक 30.06.2019 तक स्थानान्तरण की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है जिसकी छायाप्रति इस कार्यालय के पत्र संख्या-870 दिनांक 30.05.2019 द्वारा संलग्न कर प्रेषित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है।

उपरोक्त संबंध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि मुख्यालय के उक्त पत्र दिनांक 06.04.2018 द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनांक 30.06.2019 तक पूर्ण करते हुए फैक्स / ई-मेल के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को इस आशय का प्रमाण पत्र दिनांक 01.07.2019 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें कि मुख्यालय के उक्त पत्र दिनांक 06.04.2018 द्वारा जारी स्थानान्तरण सम्बन्धी दिशा निर्देशो का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्थानान्तरण की कार्यवाही दिनांक 30.06.2019 तक पूर्ण कर ली गई है।

suha
28/6/19

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पू0प0सं0.व दिनांक- उक्त

प्रतिलिपि कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, महोदया की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।

suha
(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ।